

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर।

पत्रांक- 3566 / 5-1

दिनांक गाजीपुर,
अल्पकालीन निविदा सूचना

जून 17, 2016

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत फर्मों/निर्माता से वन जमा में प्राप्त धनराशि से ब्रिकगार्ड निर्माण हेतु विभिन्न सामग्री ईट, सीमेन्ट तथा लाल बालू कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु रेंजवार पृथक-पृथक निविदायें इस कार्यालय के पत्रांक 3331/29-1 दिनांक 28.05.2016 द्वारा आमंत्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित तिथि तक टेंडर प्राप्त न होने के कारण उक्त टेंडर पुनः आमंत्रित किये जाते हैं। टेंडर दिनांक 24.06.2016 के अपराहन 2:00 बजे तक रजिस्टर्ड अथवा बन्द लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के टेंडर बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त टेंडर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 25.06.2016 को सायं 04:00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 25.06.2016 को अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टेंडरदाता चाहे तो टेंडर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम लिखा जाना आवश्यक है। निविदा की अन्य शर्तें एवं विवरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	रेंज का नाम जहाँ आपूर्ति करना है।	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टेंडर फर्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ईट की आपूर्ति (100 क्लास लाल पेटी) संख्या में	847200 अदद	44.05	जमानियां	88100.00	300+वैट	आपूर्ति आदेश दिये जाने के 15 दिन के अन्दर
	सीमेन्ट, O.P.C. बैग में	3248 बैग	10.39	---	20780.00	300+वैट	---
	बालू (लाल)घनमी०	565 घनमी०	12.65	---	25300.00	300+वैट	---
2	ईट की आपूर्ति (100 क्लास लाल पेटी) संख्या में	120000 अदद	6.24	बाराचंवर	12480.00	300+वैट	---
	सीमेन्ट, O.P.C. बैग में	460 बैग	1.47	---	2940.00	300+वैट	---
	बालू (लाल)घनमी०	80 घनमी०	1.79	---	3580.00	300+वैट	---
3	ईट की आपूर्ति (100 क्लास लाल पेटी) संख्या में	936000 अदद	48.67	मरदह	97340.00	300+वैट	---
	सीमेन्ट, O.P.C. बैग में	3588 बैग	11.48	---	22960.00	300+वैट	---
	बालू (लाल)घनमी०	624 घनमी०	13.98	---	27960.00	300+वैट	---
4	ईट की आपूर्ति (100 क्लास लाल पेटी) संख्या में	322080 अदद	16.75	सैदपुर	33500.00	300+वैट	---
	सीमेन्ट, O.P.C. बैग में	1232 बैग	3.95	---	7900.00	300+वैट	---
	बालू (लाल)घनमी०	215 घनमी०	4.816	---	9632.00	300+वैट	---

1. कार्य को पूर्ण करने की अवधि कालम संख्या-8 में अंकित है।
2. कालम संख्या-3 में दी गयी मात्रा कम या अधिक हो सकती हैं
3. निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर के कार्यालय में निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 18.06.2016 से दिनांक 23.06.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

4. दिनांक 24.06.2016 को 2:00 बजे बक्सा सील कर दिया जायेगा।
5. समस्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय के भीतर करनी होगी। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।
6. निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट ऑफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हो, टेंडर के साथ संलग्न होनी चाहिए। टेंडर के स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को निर्धारित जमानत (निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) की धनराशि जमा करनी होगी।
7. अधोहस्ताक्षरी को यदि विश्वास हां जाये कि स्वीकृत टेंडर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टेंडर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंन्सी/द्वितीय न्यूनतम टेंडर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. अधोहस्ताक्षरी के बिना कोई कारण बताये किसी भी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. स्वीकृत टेंडर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प ड्यूटी व आयकर आदि को भी कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
11. टेंडरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टेंडर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग-वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंध (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हों, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।
13. राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
14. कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
15. स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सभी सूचना/डाक्यूमेन्ट्स लोक निर्माण विभाग के निर्धारित प्रपत्र टी0-4, टी0-5, टी0-6 में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदादाताओं को वापस नहीं किया जायेगा।
18. टेंडर के साथ किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए.बी.सी.डी श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र पै नम्बर, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। सामग्री निर्माता होने की दशा में सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र, पै नम्बर व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

19. कम संख्या-1, 2, 3 व 4 पर अंकित सामग्री की आपूर्ति हेतु अलग-अलग टेंडर फार्म कय करने होंगे तथा उनको आपूर्ति करनी होगी।

20. यदि कोई टेंडरदाता दूसरे राज्य का हो तो माल की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का व्यापार कर फार्म/केन्द्रीय कर फार्म अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सामग्री आपूर्ति हेतु रास्ते में समस्त वैधानिक कार्यवाही हेतु फार्म/टोल टैक्स व्यय/अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स व्यय हेतु निविदादाता की अपनी जिम्मेदारी होगी।

21. निविदा प्रपत्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यालय की मूल निविदा प्रपत्र पर अंकित मात्रा ही मान्य होगी। सशर्त व अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजीपुर।

पत्रांक 3566 / समदिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0,17 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टेंडर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड कराने का कष्ट करें (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
3. मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
6. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
7. समस्त प्रभागीय निदेशक, वाराणसी वृत्त।
8. लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड गाजीपुर तथा प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर।
9. जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
10. उप प्रभागीय वनाधिकारी, गाजीपुर/मुहम्मदाबाद।
11. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर।
12. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गाजीपुर खण्ड, गाजीपुर।
13. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर।
14. प्रभारी, एन0आई0सी0, गाजीपुर को राजकीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
15. स्टोर प्रभारी, प्रभागीय कार्यालय।
16. नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजीपुर।